

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 105/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्मु एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स रटार जैम्स, प्रोपराईटर शबीर खान पुत्र आमीर खान,
2. तस्लीम बेगम पत्नी शबीर खान,
पता :- प्लॉट नम्बर 21, रोड नम्बर 6, विकास नगर, गीजगढ हाउस, 22 गोदाम के पीछे, जयपुर।
3. सलीम खान पुत्र अब्दुल माजीद,
पता :- 124, गौतम मार्ग, बगडिया भवन के पीछे, सी-स्कीम, जयपुर।
4. आमीर खान पुत्र श्री शफी मोहम्मद,
पता :- मकान नम्बर 18, राईयों का मोहल्ला, हसनपुरा, सी.एन.बी.सी, रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

- उपस्थित :- 1. श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री ताडकेश्वर शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक: 09.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.08.2006 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी तस्लीम बेगम के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 1, 22 गोदाम, कच्ची बस्ती, जयपुर क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 15,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का मौक्तिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री ताडकेश्वर शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जवाब बहस हेतु अवसर चाहा है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. उभय पक्ष को को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का बलीभाति अवलोकन किया गया।
4. सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निरस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में जवाब बहस हेतु समय दिया जा चुका है, इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 15,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 13,21,221.99/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी तस्लीम बेगम के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 1, 22 गोदाम, कच्ची बस्ती, जयपुर क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना आदेश दिनांक से 40 दिवस पश्चात् प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



8. आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(Signature)
 (राजन विशाल)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर